UPBS050000212019

न्यायालय CIVIL JUDGE (S.D.), Basti

पीठासीन अधिकारी– (SMT. TRISHA MISHRA), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP02074

पी०ए० वाद सं० 01/2019

श्रीमती विद्यावती बनाम सुरेन्द्र सिंह

18.03.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 20 क 2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 20 क 2 वादिनी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि लिपिकीय त्रुटिवश विवादित परिसर का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हो सका, जिसके कारण अवमुक्त करने का प्रार्थना पत्र अस्पष्टता के दोष से प्रभावित है। जिसके निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र कागज सं० –4 ग 1 संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र 20 क 2 वादिनी द्वारा, प्रार्थना पत्र 4 ग 1 में संशोधन करने के आशय से दिया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र 21 ग 2 से समर्थित है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा , बल्कि वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 20 क 2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 20 क 2 स्वीकार किया जाता है। वादिनी आवश्यक संशोधन अन्दर दो दिन करे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.03.2021 को पेश हो।

सिविल जज (सी०डि०),
बस्ती